

केन्द्रित

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

आदेश

सं०सं०-02/कर माफी -12/2015 परि०

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-7463 दिनांक-01.08.2016 द्वारा डाक मोटर सेवा, पटना के एक वाहन के कुल कर 3780/- (तीन हजार सात सौ अस्सी रूपया) के कर माफी किये जाने हेतु अभिलेख सं०-9/2016 द्वारा अनुशंसा संबंधित विवरणी निम्नलिखित है :-

Sl. No.	Registration No.	Engine Number	Chasis Number	Period of Tax	Amount of Tax
1	BR01GE 2341	497SP67GWY636422	MAT455042D8G21569	30.07.2016 to 29-07-2017	3780.00

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910 दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वातित्व वाले मोटर वाहनों को कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यययोजित की गई है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना से प्राप्त कर माफी अभिलेख सं०-9/2016 द्वारा डाक मोटर सेवा, पटना के उपर्युक्त वाहन के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत संगणित कुल कर 3780/- (तीन हजार सात सौ अस्सी) रूपये की विमुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

संयुक्त परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 21/9/16

आपाक-02/कर माफी -12/2015 परि०

5340

प्रतिलिपि जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/प्रबंधक, डाक मोटर सेवा, भारतीय डाक विभाग,

पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

E-mail

संयुक्त परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।